

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF.....J.M.F.C. Gohad , DIST-. BHIND (M.P)

Case No. 221/17

क्र. को. गुप्ता
आधिक मजिस्ट्रेट प्रथम ~~क्र.~~ Complaint or report made on

Name and address of the Complainant.....
 26/11, 8/7/11, 11/11/11

Name , parentage, caste and address of accused

जगतलाल पुत्र पृथ्वीराज उम २३ वर्ष मीर जयपुर
चिवासी मठवा पं.स.जयपुर

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक 23-9-17 को समय लगभग 1:30 बजे, स्थान अंतर्गत थाना में वाहन को बिना के चलाया और इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा के तहत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिक्षा चाहते हो।

Judicial Magistrate First Class

The plea of the accused and his examination (if any) Goad dist. Bhand. M.P.

अपराध स्वेच्छया स्वीकार है।

~~जावना लिखे~~

Judicial Magistrate First Class
Gohad distr. Bhind (M.P.)

The offence proved: If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

05/11/17

निर्णय

(आज दिनांक 26/9/17 को घोषित)

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181 MVA के तहत

दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी

को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181 MVA के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए कमष. राशि रुपये 500/-

कुल 500/- रु० (.....) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।

04. जप्तबुदा सम्पत्ति वाहन मोटर वाहन को को उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।

मेरे निर्देशन पर टंकित


Judicial Magistrate First Class
Gobind dist. Bhind (M.P.)